न्यायालय जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी–(डॉ0 सौम्या झा)

आई0ए0एस0

(1)राजस्व अपील सं0 19/2026

ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भेडोली तहसील कुण्डल जिला दौसा

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा नायब तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा

...रेस्पोंडेन्ट

(2) राजस्व अपील सं0 20/2026

राधेश्याम पुत्र गोकुल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भेडोली तहसील कुण्डल जिला दौसा

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा नायब तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा

...रेस्पोंडेन्ट

(3). राजस्व अपील सं0 21/2026

1. मनोहरलाल पुत्र भगवानसहाय
2. नवल पुत्र भगवानसहाय
3. नरेन्द्र पुत्र भगवानसहाय
4. रजनीश पुत्र कमल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भेडोली तहसील कुण्डल जिला दौसा

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा नायब तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा

...रेस्पोंडेन्ट

(4) राजस्व अपील सं0 22/2026

1. ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भेडोली तहसील कुण्डल जिला दौसा
2. सीताराम पुत्र रामेश्वर
3. मुरारी पुत्र रामेश्वर प्रसाद
4. बनवारी पुत्र रामेश्वर प्रसाद

समस्त ब्राह्मण निवासी ग्राम भेडोली तहसील कुण्डल जिला दौसा

.... अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा नायब तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा

(5) राजस्व अपील सं0 23/2026

सीताराम पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भेडोली तहसील कुण्डल जिला दौसा

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा नायब तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा

...रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा दिनांक 24.11.2025 प्रकरण सं0 31/2025 सरकार बनाम ब्रजमोहन, प्रकरण सं0 30/2025 सरकार बनाम राधेश्याम, प्रकरण सं0 29/2025 सरकार बनाम मनोहरलाल आदि व प्रकरण सं0 33/2025 सरकार बनाम ब्रजमोहन प्रकरण सं0 32/2025 सरकार बनाम सीताराम आदि।

जिला कलक्टर दौसा

उपस्थितः—1. श्री उमेश कुमार गौड, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 26.5.2026

1. उक्त सभी अपीलों के तथ्य एवं विषयवस्तु लगभग एक समान है। अतः इन सभी अपीलों का निस्तारण एकल निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।
2. उक्त सभी अपीलों में नायब तहसीलदार कुण्डल को पक्षकार बनायागया है।
3. उक्त सभी अपीलों में अपीलांट्स के द्वारा नायब तहसीलदार कुण्डल द्वारा निर्णय जो कि प्रकरण सं0 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 व 33/2025 में दिनांक 24.11.2025 को पारित किये गये है, को निरस्त करने हेतु यह अपीलें प्रस्तुत की गई है।
4. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि योग्य नायब तहसीलदार कुण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24—11—2025 ई० विधि प्रक्रिया, नियम तथ्य एवम न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विपरीत फरमाये जाने के कारण खण्डनीय है। पटवारी हल्का कुण्डल द्वारा नायब तहसीलदार कुण्डल के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट ने खसरा नम्बर 390, 392, 393, 394, 397, 398, 399, 400, 40 मे बाजरा काश्त व खसरा नंबर 398 में पुख्ता मकान व दुकान निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का ने अपीलांट को अतिक्रमी अंकित किया। नायब तहसीलदार ने अपीलांट के नाम अ. धारा 91 रा.भू. रा. अधिनियम सूचना पत्र प्रेषित किया जिस पर अपीलांट द्वारा जवाब पेश किया जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर नही लिया एवम पत्रावली को समय समय पर मालूम करने पर रीडर द्वारा पीठासीन अधिकारी के पास पत्रावली होने की जानकारी दी एवम निर्णय होने पर सूचना देने के बारे में आश्वस्त किया गया जिस पर अपीलांट द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुए। हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट को बेदखली किये जाने एवम शास्ति जमा करवाने की कहने पर अपीलांट द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नकल हेतु आवेदन दिनांक 6—3—2026 को प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट को दिनांक 10—3—2026 को नकल प्राप्त हुई जिसके पश्चात कानूनी जानकारी प्राप्त कर अ०धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जा रही है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में अंकित आराजी के पूर्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना गलत प्रकार से विधि विरूद्व निर्णय पारित फरमाया गया है। जैर अपील 'निर्णय में अंकित आराजी की खातेदारी मंदिर मूर्ति के नाम अंकित है एवम अपीलांट पुजारी है, जिनका 100 साल पूर्व से कब्जा चला आ रहा है एवम जमाबंदी सम्वत 2010 में भी अपीलांट के पूर्वजो के नाम अंकित है। अपीलांट 100 साल से काबिज होकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं एवम मंदिर की सेवा पूजा करते रहे है। जैर अपील आराजी के संबंध में महेश कुमार शर्मा पुत्र रामेश्वरप्रसाद शर्मा द्वारा गलत प्रकार से अपीलांट को बिना सूचना के गलत प्रकार से मंदिर श्री सीताराम जी ग्राम भेडोली के संबंध में प्रन्यास पंजीयन करवा लिया जिसके संबंध में अपीलांट को जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा आयुक्त देवस्थान विभाग में अपील पेश कर रखी है जो आज दिन तक विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी कब्जे एवम अपीलांट के मंदिर के व्यवस्थापक होने के संबंध में दस्तावेज पेश किये जिन्हे बिना रिकॉर्ड पर लिए महेश कुमार पुत्र रामेश्वरप्रसाद शर्मा से साज कर अपीलांट के सैकडो वर्ष पुराने कब्जे से बेदखल करने की गरज से जैर अपील निर्णय पारित फरमाया गया है जिसके संबंध में योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय की जानकारी भी अपीलांट को नही दी गई। इस प्रकार विधि विरुद्ध निर्णय पारित कर अपीलांट को बेदखल करने की कुचेष्टा की जा रही है जो कानून के सामान्य सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अपीलांट को आराजी वादग्रस्त से बेदखली कर दिया जावेगा तो अपीलांट का जीवन बरबाद हो जावेगा तथा अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी । अपीलांट की बरबादी की सूरत में अपीलांट न्यायालय श्रीमान से गुजारिश करता है कि न्यायहित में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मय दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने एवम पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर दिलवाया जावे ताकि सही न्याय निर्णय हो सके। निर्णय जैर अपील आराजी प्रन्यास के संबंध में अपील देवस्थान विभाग

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, दौसा

में विचाराधीन है जिसकी जानकारी योग्य अधिनस्थ न्यायालय को होने के बावजूद विधि विरूद्व निर्णय पारित फरमाया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नायब तहसीलदार कुण्डल द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 24–11–2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का निमाली द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कुण्डल से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट्स के अधिवक्ता के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट्स ने राजकीय भूमि मंदिर माफी की भूमि पर बाजरा, एवं पुख्ता दुकान, मकान व तारबंदी की जाकर अतिचार किया है। अपीलांट्स अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।
6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन कियागया।
7. पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि नायब तहसीलदार कुंडल के द्वारा अपीलांट्स को राजकीय भूमि खसरा नंबर 390, 392, 393, 394, 397, 398, 399, 400, 40 मे बाजरा काश्त व खसरा नंबर 398 में पुख्ता मकान व दुकान निर्माण कर अतिक्रमण करने पर प्रकण सं0 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 व 33/2025 में दिनांक 24.11.2025 को अतिकमियों को भैतिक रूप से बेदखली करने एवं 50 गुना आरोपित शास्ति से दंडित किया गया है। पत्रावली में संलग्न पत्रादि से यह भी ज्ञात होता है कि महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा मंदिर श्री सीतारामजी ग्राम भेडोली के संबंध में प्रन्यास पंजीयन करवा लिया जिसकी अपीलांट्स के द्वारा अपील सं0 05/2025 दायर की गई है जो वर्तमान में आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर में लंबित है। नायब तहसीलदार कुंडल के द्वारा प्रकरण देवस्थान विभाग में विचाराधीन होने के बावजूद भी बेदखली एवं लगान का 50 गुना आरोपित शास्ति से अपीलांट्स को दंडित किया गया है। यह निर्विवादित है कि उक्त आराजी के संबंध में प्रन्यास पंजीयन के आदेश को निरस्त करने हेतु अपीलांट्स के द्वारा अपील जो वर्तमान में आयुक्त, देवस्थान विभाग के न्यायालय में लंबित है को नजरअंदाज कर अपीलाट्स के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो कि न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। उक्त प्रकरण में हम सीधे कोई कार्यवाही नहीं की जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार कुण्डल को रिमांड किया जाना उचित समझते है।
8. उपरोक्त विवेन के आधार पर अपीला अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय/आदेशों को अपास्त किया जाकर इस आशय से नायब तहसीलदार कुण्डल को रिमांड किया जाता है कि अपीलांट्स द्वारा उठाई गई आपत्तियों, न्यायालय आयुक्त देवस्थान विभाग में विचाराधीन अपील के परिप्रेक्ष्य में संबंधित पक्षकारों को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर 60 दिवस में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। मूल निर्णय राजस्व अपील सं0 19/2026 में रखा जावे एवं शेष राजस्व अपील सं0 20/2026 से 23/2026 में इस निर्णय की छाया प्रति रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 मई 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि में की जा सकेगी।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official